



ग्राम क्रमांक : 220607 ग्राम का नाम / परगना : जोगईल(अगोरी)

तहसील : ओबरा

जनापदः सोनभद्र

फसली वर्ष : 1425-1430 (01 जुलाई, 2017 से 30 जून, 2023)

२५११ : १

खताता खतौनी क्रम संख्या	खातिदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान
----------------------------------	---

भौमिक
अधिकार
प्रारम्भ होने
का वर्ष

खाना के प्रत्येक
गाटे की खसरा
संख्या

प्रत्येक गाटे
का
क्षेत्रफल
(हे.)

स्वातेदार द्वारा देय
भालगुजारी या
लगान

परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद

ਟਿਘਾਹੀ

श्रेणी : 6-4 / जो अन्य कारणों से अकृषित हो ।

03200 पराङ्ग ११

	3	4	5	6	7-12	13
5	0.1450					
59ग	0.1260					
67क	0.2530					
82	0.7210					
176ख	0.1260					
177	0.1450					
178	0.8220					
181	3.8320					
192	0.9540					
210घ	0.3290					
246	1.0950					
247	0.8470					
297ग	0.1390					
390	0.0310					
461क	4.9440					
544ख	1.0120					
545ग	0.1640					
572ख	0.1010					
631ख	0.4930					
643क	0.1640					
738ख	1.5550					
740ख	0.3920					
745क	0.0030					

(प्रप्र नौ के अनुसार 7000ख के सम्बन्ध में) माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के याचिका संख्या 28826/1995 दि० 12-10-1995 रामेश्वर आदि बनाम राज्य सरकार द्वारा आदेश हुआ कि निर्धारित समय की समाप्ति तक इस बीच अगर वादी का कब्जा है तो वादी का विवादित भूमि से उसे बेदखल न किया जाय। इ०अ० 22-10-13

शासनदेश सं०258(1) 16-73-र-1 दिनांक 16-06-1981 का आदेश परीक्षा करते हुए उ०प्र०रा०संहिता 2006 (उ०प्र०अधिनियम संख्या 8 सन 2012) की धारा -59 की उप धारा -4 के खण्ड-(ग) तथा उ०प्र०रा०संहिता नियमावली 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके एव शासकीय अधिसूचना संख्या -740/एक -1-2016-20(5)/2016 दिनांक जून 03, 2016 में प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं चन्द्र विजय सिंह जिलाधिकारी सोनभद्र अनुसूची के खान्दा 6 में उल्लिखित भूमि ग्राम जोगईल परगना अमोरी तहसील ओबरा सोनभद्र के गाँव सं० 6749 रकबा 28.3280 हे० में से रकबा 15.567 हे० श्रेणी -6-4 पहाड़ जो अब ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी को फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ। पुनर्निहित भूमि का उपयोग स्वास्थ्य उपकेन्द्र की स्थापना हेतु किया जाएगा यदि किसी कारणवश पुनर्निहित भूमि का उपयोग इस निर्मित तीन वर्ष के भीतर नहीं किया जाता है तो यह भूमि पूर्ववत् गाँवसभा में सौंपा जायेगी। इ०२००का० 17-01-2023

Prashant Yadav
Executive Engineer

(प्रश्न नौ के अनुसार 7000ख के सम्बन्ध में) माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पाकि का संख्या 28226/1995 दि० 12-10-1995 रामेश्वर आदि बनाम राज्य सरकार द्वारा आदेश हुआ कि निर्धारित समय की समाप्ति तक इस बीच अगर वादी का कब्जा है तो वादी का विवादित भूमि से उसे बेदखल किया जाय। १८030 22-10-13

शासनादेश सं०238(1) 16-73-स-1 दिनांक 16-06-1981 का अधिकार परिष्कार करते हुए उन्प्र०न०संहिता 2006 (उन्प्र०अधिनियम संख्या 8 सन 2012) की धारा -59 की उप धारा -4 के खण्ड-(ग) तथा उन्प्र०न०संहिता नियमावली 2016 के नियम 55 द्वारा प्रादा शक्ति का प्रयोग करके एवं शासकीय अधिसूचना संख्या -740/एक -1-2016-20(52)2016 दिनांक जून 03, 2016 में प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं वरद विजय सिंह जिलाधिकारी सोनभद्र अनुसूची के ब्लॉक सं० 6 में उचितरहित भूमि प्राप्त जोगईत परगना अंगारी लहसीत ओबरा सोनभद्र के गाटा सं० 6749 रकबा 28.3280 है में से रकबा 15.567 है० श्रेणी -6-4 पहाड़ जो अब ग्राम चंदापत के प्रबन्धन में निहित थी को फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ। उन्प्रतिहित भूमि का उपभोग स्थास्य उपकेन्द्र की स्थापना हेतु किया जाएगा। यदि किसी कारणवश पुनर्निहित भूमि का उपयोग इस निमित्त तीन वर्ष के भीतर नहीं किया जाता है तो वह भूमि पूर्ववत गौवसभ में सारिहित हो जायेगी। इ०२०का०

Prashant Yadav
Executive Engineer
PMGSY Division
P.W.D.-Sonebhadra



2848₹	0.2280
2900	0.4550
2927	0.0630
3121₹	0.1140
3605₹	0.1770
3690₹	0.2400
3735₹	3.2250
3751	0.2850
3753	0.0190
3754	0.8090
3787	1.9600
3792	0.2400
3976₹	0.1260
4308	0.2400
4383₹	0.4050
4405	0.0510
4406₹	0.1390
4474₹	1.5170
4477₹	5.6270
4479₹	0.1390
4871₹	38.3050
5380₹	8.1820
5381	0.9920
5382₹	12.1400
5383	0.0190
5384	0.9920
5385₹	1.4540
5386	0.4990
5387₹	0.2530
5402₹	1.7580
6028₹	0.4170
6151	0.2210
6203	2.2250
6232₹	2.9090
6280	2.0610

Prashant Yadav
Executive Engineer
PMGSY Division
P.W.D.-Sonebhadra

